

***Demand to tap the young talent resource in the Make in India campaign**

श्री नरेंद्र बुढानिया (राजस्थान): महोदय, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अन्य विकसित देशों से बहुत अच्छा है। हमारे देश में युवा टेलेंट की कोई कमी नहीं है, चाहे वह मेडिकल, इंजीनियरिंग, साइंस व टेक्नोलॉजी या मैनेजमेंट हो। भारत में हमारे युवा टेलेंट का उपयोग नहीं होता है क्योंकि हमारे पास साधनों व धन का बहुत अभाव है। इसी कारण देश का युवा टेलेंट दूसरे बड़े विकसित देशों में लगातार जा रहा है।

विश्व में अमेरिका शक्तिशाली देश है। इस में भारत के युवा टेलेंट का बड़ा योगदान है। विश्व के सभी बड़े देशों में वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर व मैनेजमेंट के बड़े पदों पर भारतीय ही आसीन हैं। उसके पास पर्याप्त साधन, रिसर्च करने के लिए अच्छी प्रयोगशालाएं हैं, इस वजह से वे हमारे युवा टेलेंट को ले जाते हैं।

हमारे प्रधान मंत्री "मेक इन इंडिया" की बहुत बातें करते हैं। क्या "मेक इन इंडिया" यही है कि विदेशी कंपनियां भारत आकर निवेश करें व निर्माण करें? मेरा मानना है कि "मेक इन इंडिया" में भारत के युवा टेलेंट को बाहर जाने से रोका जाए। हमारे टेलेंट का उपयोग भारत की प्रगति के लिए होना चाहिए।

यदि हमारे युवा को विदेशों से भारत बुला लिया जाए तो विदेश खाली हो जाएंगे, परंतु इस के लिए यह कहना कि देश में अच्छे दिन आएंगे, "मेक इन इंडिया" के खोखले नारों से काम चलने वाला नहीं है। मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करता हूँ कि भारत की युवा प्रतिभाओं के लिए सार्थक कदम उठाए जाएं।

***Demand to take suitable steps to implement the decision of the
management of the Steel Authority of India Ltd. (SAIL)
regarding the demands of employees of the
Bhilai Steel Plant**

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़): महोदय, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) की भिलाई स्थित इकाई सबसे अधिक मुनाफा देने वाली इकाई है। यह सेल की ध्वजवाहक इकाई के रूप में जानी जाती है। भिलाई स्टील प्लांट को कुल 11 बार प्रतिष्ठित प्रधान मंत्री ट्रॉफी मिल चुकी है, जिसमें वहां के कर्मचारियों एवं अधिकारियों का बड़ा योगदान रहा है।

भिलाई इस्पात संयंत्र की टाउनशिप में हाउस लीज वर्ष 2001 से 2003 के बीच पांच चरणों में लागू की गई, जिसमें फेज-2 हेतु लागू करने का निर्णय पूर्व लीजी आवासों में अतिरिक्त निर्माण के नियमितिकरण के बाद लागू करने का निर्णय लिया गया था, जो अभी तक लंबित है। उसके कारण भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारी, अधिकारी एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी-अधिकारी, जो वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में हैं, छठे चरण की मांग को लेकर विगत दो वर्षों से निरंतर अपनी मांग को लागू करने हेतु आंदोलन कर रहे हैं। परंतु खेद की बात है कि सेल प्रबंधन इसे लागू करने की दिशा में कदम नहीं उठा रहा है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है और वे लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं।

* Laid on the Table.

महोदय, सदन के माध्यम से मेरी मांग है कि भिलाई के सेल प्लांट के प्रबंधन को 340वीं बैठक में लिए गए निर्णय को अविलम्ब लागू करने हेतु समस्त उचित कदम उठाने का निर्देश दिया जाए, जिससे कर्मचारियों के हितों की रक्षा हो सके।

***Demand to enlarge the scope of fields to be considered for Nominated
Members of Rajya Sabha to include SCs/STs**

SHRI DILIP KUMAR TIRKEY (Odisha): Sir, I would like to draw the attention of the House and the Government to a very pertinent issue concerning the welfare of SC/ST communities, which constitute almost one-fourth of our country's total population. The architects of our Constitution, and particularly Dr. Ambedkar, had ensured that the SC/ST communities are adequately represented in the Lok Sabha and State Assemblies by providing them reservation. This political representation has gone a long way in improving the plight of the SC/ST communities over the years and given some voice to them. However, the situation is still far from satisfactory. Moreover, the Upper House, that is, Rajya Sabha still remains insufficiently represented as far as the SCs/STs are concerned. Proper representation of *dalits* and *adivasis* in Rajya Sabha becomes particularly important because the Rajya Sabha is considered as the conscience keeper of our political democracy. The unique character of Rajya Sabha is marked by serious debates and deeper reflection on various issues. Therefore, it is extremely important that Rajya Sabha is fairly represented by all the sections of the society. For this purpose, I demand from the Government to enlarge the scope of fields to be considered for Nominated Members of Rajya Sabha and include eligible SCs/STs also in the category. Of late, unprecedented spurt has been witnessed in the atrocities and heinous crimes against SCs/STs in the country. At this critical juncture, this move by the Government will give a very positive signal to the aggrieved SC/ST communities and heal their wounds to some extent.

***Demand to address the claims regarding forest rights of people
evicted from the tribal areas of Godavari Districts
in Andhra Pradesh**

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, there is an urgency to help thousands of evicted Scheduled Tribe people in tribal areas of Godavari Districts of Andhra Pradesh, who have been evicted without settlement of their forest rights. The Forest Rights Act, 2006, empowers tribals with rights over forest lands. The Government had admitted it and had received detailed representations from Dr. P. Pullarao on claims of tribals of Polavaram, Chegondapalli, Devaragondhi, Mamidigondhi and Anguluru on deprivation of tribals' forest rights.

* Laid on the Table.